

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 87 / 2023 राजख

तारीख दायर 7/6/23

1. नरेश पिता सुगनलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सुरजविलास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।
2. सुगनलाल पिता चतुर्भुज जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सुरजविलास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. घनश्याम पिता जीतमल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।
2. शंकरलाल पिता जगन्नाथ जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।
3. शम्भुलाल पिता जगन्नाथ जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।
4. रमेश पिता जगन्नाथ जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा राज0।

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक 7/6/23

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री अनिल कुमार धाकड एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम लक्ष्मीनिवास पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 190 पर अंकित आराजी संख्या 483 रकबा 0.6151 है0 भूमि स्थित है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडौंसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक उमा जी का खेडा को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी कमिश्नर फीस ~~100~~ /- रूपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढी फीस अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम लक्ष्मीनिवास पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 190 पर अंकित आराजी संख्या 483 रकबा 0.6151 भूमि की बशामलात पडौंसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100 /- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावेँ।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या -87 / 2023 राजरव
प्रेषिति :-तहसीलदार बिजौलियाँ

तारीख दायर 7/6/23

विषय :- प्रकरण संख्या 87 / 2023 पत्थरगढ़ी बाबत।

1. नरेश पिता सुगनलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सुरजविलास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।
2. सुगनलाल पिता चतुर्भुज जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सुरजविलास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।

.....प्राथीगण

बनाम्

1. घनश्याम पिता जीतमल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।
2. शंकरलाल पिता जगन्नाथ जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।
3. शम्भुलाल पिता जगन्नाथ जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।
4. रमेश पिता जगन्नाथ जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0।

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मे आदेश होकर लेख है मौजा ग्राम लक्ष्मीनिवास पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 190 पर अंकित आराजी संख्या 483 रकबा 0.6151 है0 भूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ खुर्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस 500/-रुपये वक्त पत्थरगढ़ी प्राथीगण अदा करेगें। पत्थरगढ़ी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसीयान को सूचित करते हुये पत्थरगढ़ी करें।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

